## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

**प्रार्थी**

1. श्री ईश्वरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी–पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
2. श्री लालाराम पुत्र तोलाजी, जाति– कुम्हार, निवासी–पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
3. श्री ताराराम पुत्र होसाजी, जाति– कुम्हार, निवासी– पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
4. श्री जयसिंह पुत्र मोतीसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी–पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
5. श्री ओटसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
6. श्री गफुर खां पुत्र मीरखांजी मोसला, जाति– मोसला मुसलमान, निवासी–पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
7. श्री छोगाराम पुत्र मोडा जी घांची, जाति– घांची, निवासी–पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
8. श्री रावता पुत्र सोमताजी, जाति– रेबारी, निवासी–पालडी एम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
9. श्री गेनाराम पुत्र पीपाजी मेघवाल, जाति– मेघवाल, निवासी–पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
10. श्री प्रहलाद पुत्र मनारामजी मीणा, जाति– मीणा, निवासी–पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही
11. श्री छोगाराम पुत्र वनाजी घांची, जाति– घांची, निवासी–पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

**बनाम**

**अप्रार्थी**

(1) ग्राम पंचायत, पालडी एम जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम., तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

(2) श्री ठाकरीराम पुत्र केवलरामजी, जाति– रावल ब्राह्मण, निवासी– पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

**पंचायत निगरानी संख्याः 30/2021**

**"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"**

**उपस्थितिः**

1. अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अप्रार्थी संख्या–2 (ठाकरीराम) की ओर से

**–: निर्णय :–** **दिनांक 24 फरवरी, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी संख्या– 2 (ठाकरीराम) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत क्षेत्रफल 600 वर्गफीट भूखण्ड का जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 23.12.2020 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा [illegible] पेश किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज किया ज[illegible]गण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सु[illegible]म) की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 (ठाकरीराम) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में नोटिस की तामिल होने पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पालडी एम. की ओर से सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम. ने इस न्यायालय में दिनांक 04.10.2021 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) दिनांक 03.2.2023 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दवे ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ग्राम पालडी एम के निवासी है एवं ग्राम पालडी एम के सर्व समाज के मौजिज व्यक्ति है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने पुराने पुश्तैनी कब्जे को आधार बनाकर पटटा प्राप्त करने की कार्यवाही की है जबकि मौके पर आज तक अप्राथी संख्या 2 का कभी कब्जा नही रहा है और न ही वर्तमान मे कोई कब्जा है मौके पर पर एक कचरा पात्र पडा है और खुला भूखण्ड है, जो मुख्य बस स्टेण्ड के पास होने से ग्राम की बेशकीमती भूमि है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा विभिन्न कार्यवाही कर अपने पास वर्ष 1994 में कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र होना बताया है जो कि प्रशासक के कार्यकाल मे जारी होना बताया है। जबकि ऐसा कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत मे नही है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तत्कालिन प्रशासक से मेल मिलाप कर फर्जी व कुटरचित दस्तावेज बनाकर उक्त दस्तावेज को अपने पुराने कब्जे का आधार बनाया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का मौके पर कभी कब्जा नही रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एक प्रकरण जिला सतर्कता समिति में पेश किया था जिसमे अपना पुराना कब्जा 1978 से होना तथा प्रचलित बाजार दर से राशि जमा कराने को तैयार होने का कथन किया था जिस पर प्रथम दृष्टया बाजार दर से भूमि देने मे कोई आपत्ति नही होना मानते हुए दिनांक 28.6.20210 को सर्तकता प्रकरण में प्रचलित बाजार दर से भूमि का पटटा देने के आदेश हुए। जिसके विरुद्ध जितेन्द्रसिह पुत्र हरिसिहजी राजपूत निवासी पालडी एम ने एक पंचायत निगरानी संख्या 30/2010 इस न्यायालय में प्रस्तत की थी जिसमें तत्कालीन ग्राम पंचायत से कोई सुनवाई हेतु उपस्थित नही आया और कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र का रेकर्ड ग्राम पंचायत में है या नही इस सम्बन्ध में कोई जवाब दिया है, जिसके आधार पर इस न्यायालय ने प्रचलित बाजार दर से पटटा देने के आदेश को सही मानते हुए जितेन्द्रसिह की पंचायत निगरानी संख्या 30/2010 को दिनांक 07.1.2011 को खारिज की गई थी। उक्त निगरानी में ना तो यह तथ्य आया है कि अप्रार्थी संख्या 2 ठाकरीराम का मौके पर कब्जा है और ना ही कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र की वैधानिकता की जांच हो सकी, केवल उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र होने से प्रचलित बाजार दर से पट्टा देने के आदेश हुए है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 ने बिना किसी कब्जे के तथा बिना किसी हक अधिकार के प्रचलित बाजार दर के विपरित डी.एल.सी. दर से पटटा प्राप्त किया है, जबकि प्रचलित बाजार दर डी.एल.सी. की करीब 5 गुना ज्यादा है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत भी ऐसे क्षेत्र में पटटा नियत किमत से दुगनी से कम पर नही दिया जायेगा। ऐसे में ग्राम पंचायत, पालडी एम ने अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में पट्टा जारी करने में कानूनी भूल की है। यह कि पूर्व में उक्त स्थान पर 4 केबिन थे ओर उक्त किरायेदारो की किरायेदारी भी वर्ष 2018 तक यथावत रही थी ऐसे मे अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा कानूनन होना सम्भव नहीं है। मौके पर भूखण्ड खुला पडा है जो ग्राम पालडी एम के बस स्टेण्ड के पास स्थित होने से कीमती है, यह भूखण्ड अप्रार्थी ठाकरीराम के मकान के पास होने से उसने वर्ष 1994 में फर्जी कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र प्राप्त कर [illegible] को आधार बनाकर उक्त बेशकीमति भूमि सस्ते दाम पर खरीद करने [illegible] जबकि खुली नीलामी में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भूमि दुकानों के रुप में लाखों रुपये में बोली लग सकती है जिससे ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि होगी, लेकिन ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी ठाकरीराम को कम राशि में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटित पट्टा की सम्पति सडक सीमा से 75 फीट के भीतर है जिससे भी कानूनन इस भूमि का पट्टा नही दिया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 161 के तहत मुख्य सडक से 75 फीट तक आवंटन नही हो सकता है। साथ ही बाजार दर तय करने के लिये कोई प्रशासनिक कमेटी नही बनाई गई थी, जिसके अभाव में भी पट्टा निरस्त योग्य है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दवे ने प्रकरण में ग्राम पंचायत, पालडी एम. के सरपंच द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी प्रश्नगत भूखण्ड मौके पर खुला होना व मौके पर एक केबिन पडा हुआ होना बताया है, यह भूखण्ड बस स्टेण्ड के पास होने से कीमती है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह अंकित किया है है कि ग्राम पंचायत में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 23.12.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (ठाकरीराम) के विद्वान अधिवक्ता श्री मेडतिया ने अप्रार्थी ठाकरीराम की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ग्राम पालडी एम के निवासी अवश्य है, परन्तु ग्राम के मौजिज व्यक्ति होने का कथन गलत है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी ठाकरीराम के विरुद्ध बदनियती व दुर्भावनापूर्ण आशय से गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 के हक में ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा पट्टा विधि अनुसार पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैद्यता नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड के मौके पर अप्रार्थी ठाकरीराम का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है एवं मौके पर काबिज है। प्रश्नगत पट्टा की सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है तथा समय समय पर उच्च अधिकारीयों द्वारा पुराना कब्जा मानकर विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा जारी किए जाने के आदेश दिये है। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा दिनांक 17.7.1994 को जारी किया गया है एवं तत्समय प्रचलित राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियमों में ग्राम पंचायत को यह अधिकार प्रदत्त था कि यदि किसी व्यक्ति का ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में पुराना कब्जा है तो पंचायत द्वारा कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में जारी कब्जा प्रमाण पत्र को इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 30/2010 में बाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 07.01.2011 को निर्णय पारित कर सही माना है तथा उक्त कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 17.7.1994 को निरस्त कराने हेतु श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– पालडी एम द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत निगरानी आवेदन को खारिज किया गया था। यह निर्णय अन्तिम निर्णय है एवं आज भी अस्तित्व व प्रभाव में है। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जिला सर्तकता समिति, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 17/10 में अप्रार्थी संख्या 2 का वादग्रस्त भूखण्ड पर वर्ष 1978 से कब्जा होना मानकर पट्टा जारी किए जाने के आदेश दिए थे। मौके पर बाजार दर का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. दर के आधार पर ही किया जाता है [illegible] के आधार पर बनाकर उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों का पंजीयन किया [illegible] है [illegible] के पर दर डी.एल.सी. दर से

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

ज्यादा नही है। प्रार्थीगण ने मौके की दर डी.एल.सी. से ज्यादा होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है केवल मात्र क्यास के आधार पर निगरानी आवेदन में गलत तथ्य अंकित किया है। प्रश्नगत भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 के मकान से लगता हुआ है एवं इस पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना पुश्तैनी कब्जा है। उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना कब्जा होने से विधि के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत वाणिज्यिक दर अर्थात् प्रचलित बाजार दर की राशि से दुगुनी राशि लेकर एवं विक्रय का जिला परिषद्, सिरोही से बाद परीक्षण अनुमोदन होने के बाद पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नही बरती गई है। ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा विधि अनुरुप पट्टा जारी किया गया है। पिछले काफी समय से लगातार पट्टा जारी करने के आदेश अप्रार्थी संख्या 2 के हक में उच्चाधिकारियों द्वारा किये जा चुके है। अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे की भूमि को कानूनन नीलाम नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे की भूमि सडक सीमा से 75 फीट की सीमा के भीतर नही है, वैसे भी यह भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य मार्ग अथवा जिला सडक पर स्थित नही होकर ग्राम के आम रास्ते के पास स्थित है तथा आस पास बिल्डिंग लाईन में मकान, दुकान आदि स्थित है। पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पालडी एम के मध्य में होकर जाता था, किन्तु फोरलेन निर्माण होने से गत 14–15 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्राम पालडी एम से बाहर होकर निकाला गया है, इससे भी यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग या जिला सडक पर स्थित नही है। यदि यह भूखण्ड सडक सीमा के अन्दर होता तो प्रार्थीगण द्वारा इस भूखण्ड को नीलाम करने का कथन नही किया जाता, इससे यह स्पष्ट है कि यह भूखण्ड सडक सीमा के अन्दर नही है। बाजार दर के लिए प्रशासनिक कमेटी बनाने की काननून कोई आवश्यकता नही है, बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. दर से ही होता है तथा ग्राम पंचायत, पालडी एम ने अप्रार्थी ठाकरीराम को वाणिज्यिक दर अनुसार डी.एल.सी. राशि पर पट्टा जारी किया है। पंचायत समिति, शिवगंज की प्रशासन एवं स्थापना समिती की बैठक दिनांक 19.06.2001 में प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे की उक्त भूमि का पट्टा जारी किए जाने का निर्णय लिया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 का अपने पिता के समय यानि वर्ष 1978 से उक्त पट्टा की सम्पत्ति पर कब्जा चला आ रहा है। वर्ष 1978 में उक्त सम्पत्ति का पट्टा बनाए जाने हेतु मिसल ग्राम पंचायत में चली थी तथा पट्टा जारी करने की पुरी प्रकिया अपनाई गई लेकीन पट्टा जारी नहीं हुआ, उसके बाद ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने से अप्रार्थी संख्या 2 के हक में एक कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र दिनांक 17.07.1994 को जारी किया गया था। उक्त भूमि पर पुराना कब्जा पूर्णतया साबित होने के बावजूद ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी नही करने पर अप्रार्थी ठाकरीराम ने जिला सतर्कता समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाकर पट्टा बनवाये जाने का अनुरोध किया था जिसमें दिनांक 25.6.2010 व दिनांक 27.8.2010 को आदेश पारित कर सम्पत्ति का बाजार मूल्य वसूल कर अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश की पालना नहीं होने पर जिला कलेक्टर, सतर्कता, सिरोही ने पत्र भी ग्राम पंचायत को जारी कर पालना किया जाना सुनिश्चित किया गया था। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शि[illegible] अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा जारी करने के आदेश दिये थे। प्रश[illegible] की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के

...पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की है। इस न्यायालय द्वारा उक्त पंचायत निगरानी संख्या 30/2010 में पारित निर्णय दिनांक 07.1.2011 में भी यह अंकन किया गया है कि विवादित भूखण्ड अप्रार्थी ठाकरीराम के पुश्तैनी मकान के उत्तर दिशा में स्थित है, जिससे अप्रार्थी ठाकरीराम विवादित भूखण्ड का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 144 के तहत भूमि पट्टी के रूप में बाजार दर पर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा नियम 156 के तहत भी पुश्तैनी कब्जे के आधार पर भी बाजार दर से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 (4) के तहत भी अतिक्रमित भूमि को बाजार कीमत पर आबंटित किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड का अप्रार्थी ठाकरीराम ग्राम पंचायत, पालडी से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी था। प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा भी इस न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी ठाकरीराम के नाम से जारी कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय रेकर्ड में उपलब्ध नही होने से यह नही कहा जा सकता कि उक्त दस्तावेज फर्जी अथवा कुटरचित हो। साथ ही, ग्राम पंचायत, पालडी एम के सरपंच द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा जिला सतर्कता समिति व इस न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी में पारित निर्णय की पालना में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा पट्टा जारी करने के आदेश जारी करने पर पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्चाधिकारियों द्वारा मौके की जांच करने के बाद मौके पर अप्रार्थी ठाकरीराम का पुश्तैनी कब्जा होने से नियमानुसार पट्टा जारी करने के आदेश ग्राम पंचायत को देने पर ग्राम पंचायत, पालडी एम ने वाणिज्यिक दर अनुसार राशि वसूल कर जिला परिषद्, सिरोही से भूमि विक्रय अनुमोदन के बाद पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्जतावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत क्षेत्रफल 600 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यिक दर पर पट्टा संख्या 01 दिनांक 23.12.2020 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, पालडी एम के संकल्प संख्या 10 दिनांक 06.12.2019 के अनुसरण में जिला परिषद्, सिरोही से भूमि विक्रय का अनुमोदन होने के पश्चात् जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत किसी भी आबादी भूमि को जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत है को विद्यमान बाजार कीमत (जो उप पंजीयक द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत क रुप में संसूचित कीमत से नीचे नही हो) पर विक्रय कर सकेगी तथा बाजार या वाणिज्यिक क्षेत्र में ऐसी बाजार कीमत जो आवासीय क्षेत्र हेतु नियत कीमत से दुगुनी होगी अनुसार राशि पर ग्राम पंचायत विक्रय कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति शिवगंज की बैठक दिनांक 19.6.2001 के प्रस्ताव संख्या 3 में उक्त प्रश्नगत भूखण्ड़ अप्रार्थी ठाकरीराम के पुश्तैनी कब्जे का होने से पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है [illegible] द्वारा पट्टा जारी नही किये जाने से अप्रार्थी ठाकरीराम द्वारा जिला स[illegible]ति, सिरोही के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया, जो जिला सर्तकत[illegible] 7/10 पर दर्ज किया गया

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

एवं जिला सतर्कता समिति, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्याः 17/10 में अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में पट्टा जारी कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को निर्देशित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रशासक, ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी ठाकरीराम पुत्र केवलराम जी, जाति— रावल, निवासी— पालडी एम के पक्ष में उक्त 600 वर्गफीट के भूखण्ड पर पुश्तैनी कब्जे के संबंध में कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 17.7.1994 को जारी किया गया है, जो प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थी ठाकरीराम का पुश्तैनी कब्जा होने की पुष्टि करता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में जारी उक्त कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 17.7.1994 को निरस्त कराने हेतु श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरिसिंह, जाति— राजपूत, निवासी—पालडी एम द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही) में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था, जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्याः 30/2010 पर दर्ज हुआ एवं इस पंचायत निगरानी संख्याः 30/2010 में बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07 जनवरी, 2011 के द्वारा श्री जितेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन को खारिज किया गया था। इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्याः 30/2010 में पारित निर्णय दिनांक 07 जनवरी, 2011 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि "न्यायालय पत्रावली व ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्ष 1978 में ग्राम पंचायत पालडी एम द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड़ पर अतिक्रमण के संबंध में अप्रार्थी ठाकरीराम के पिता श्री केवलराम को नोटिस जारी किया गया था। जिसका जवाब श्री केवलराम द्वारा ग्राम पंचायत पालडी में प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड़ उनके कब्जे का होने से पट्टा जारी करने का अनुरोध किया। जिस पर पंचायत द्वारा वर्ष 1978 में ही मिसल दायर कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी।" इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 07.1.2011 में यह भी उल्लेख किया हुआ है कि अप्रार्थी ठाकरीराम का उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर पुश्तैनी कब्जा होने के संबंध में ग्राम पंचायत की बैठक एवं ग्रामसभा की बैठक में भी प्रस्ताव पारित किये गये है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.1.2011 में यह भी उल्लेख किया हुआ है कि अप्रार्थी ठाकरीराम द्वारा जिला सर्तकता समिति, सिरोही के समक्ष परिवाद संख्याः 17/10 प्रस्तुत किया। जिस पर जिला सतर्कता समिति, सिरोही द्वारा पंचायत प्रसार अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही से जांच करवाई गई। पंचायत प्रसार अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, सिरोही के पत्रांकः पंचायत/पं.अ./2010/2771 दिनांक 26.10.2010 में भी उक्त भूखण्ड़ पर अप्रार्थी का कब्जा बताते हुए बाजार दर वसूल कर पट्टा जारी करना उचित बताया है। इस प्रकार,, उक्त सभी दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड पर अप्रार्थी ठाकरीराम का पुश्तैनी कब्जा अपने पिता केवलराम जी के जरिये वर्ष 1978 से है तथा प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थी ठाकरीराम का पुश्तैनी कब्जा होने से इस भूखण्ड का अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु पंचायत समिति, शिवगंज एवं जिला सतर्कता समिति, सिरोही द्वारा बाद जांच निर्णय लिया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड़ अप्रार्थी ठाकरीराम के पुश्तैनी मकान के उत्तर दिशा में लगते हुए स्थित है। इस प्रकार, प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड पर अप्रार्थी ठाकरीराम का स्वत्व क[illegible]यसगत होने से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के [illegible] आ[illegible] ठाकरीराम पट्टा प्राप्त

....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण का यह कथन माना जाने योग्य नही है कि प्रश्नगत भूखण्ड सडक सीमा में स्थित हो, क्योंकि यदि प्रश्नगत भूखण्ड सडक सीमा के अन्दर होता तो निगरानी आवेदन में प्रश्नगत भूखण्ड को नीलामी में विक्रय करने का प्रार्थीगण कथन नही करते। यह भी उल्लेखनीय है कि फोरलेन निर्माण के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पालडी एम में से होकर नही गुजरता है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पालडी एम से बाहर होकर गुजरता है। पत्रावली पर उपलब्ध फोटो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आस–पास मकान बने हुए है एवं प्रश्नगत भूखण्ड स्वयं अप्रार्थी ठाकरीराम के पुश्तैनी आवासीय मकान से लगता हुआ है तथा प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड के पश्चिम दिशा में प्रहलाद कुमार की दुकान स्थित है अर्थात् प्रश्नगत भूखण्ड सडक सीमा में नही होकर बिल्डिंग लाईन के अन्दर स्थित है। प्रार्थीगण का यह कथन भी माना जाने योग्य नही है कि अप्रार्थी ठाकरीराम को डी.एल.सी. दर पर पट्टा जारी करने से पंचायत को आर्थिक क्षति हुई हो, क्योंकि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी ठाकरीराम से प्रचलित वाणिज्यिक दर (आवासीय क्षेत्र हेतु नियत बाजार कीमत की दुगनी कीमत) अनुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, पालडी एम. की मिसल संख्या 63/19–20 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी केवलराम द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी ठाकरीराम के आवेदन पर ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा विधिवत मिसल दायर कर ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में आबादी भूमि विक्रय के संबंध में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए तीन वार्ड पंचों की कमेठी गठित कर भूमि का मौका निरीक्षण करवाया गया है। वार्ड पंचों द्वारा ग्राम पंचायत में मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लेते हुए आपत्ति नोटिस जारी किया गया है तथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति ग्राम पंचायत को प्राप्त नही होने पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.12.2019 के संकल्प संख्या 10 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1956 के तहत वाणिज्यिक दर पर प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निर्णय लेते हुए विक्रय के अनुमोदन हेतु मिसल को जिला स्थापना समिति, जिला परिषद्, सिरोही को भिजवाने एवं अनुमोदन के बाद पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत विक्रय करने व पट्टा जारी करने की कार्यवाही विधि अनुरुप की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के पत्र क्रमांकःजिपसि/पंचायत/भूमि अनुमोदन/2020/576 दिनांक 18.11.2020 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को उनके पत्र क्रमांकःपंसशि/2020/80 दिनांक 30.9.2020 के सन्दर्भ में पत्र जारी कर ठाकरीराम पुत्र केवलराम, जाति– रावल, निवासी– पालडी एम के 10 गुणा 60 फीट कुल 600 वर्गफीट भूमि विक्रय की पत्रावली का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 154(3) व 160 के तहत अनुमोदन किया जाकर 600 वर्गफीट भूमि का प्रचलित वाणिज्यिक डीएलसी दर अनुसार राशि रुपये 243584/– (अक्षरे दो लाख तैयालीस हजार पांच चौरासी रुपये) पंचायत कोष में जमा कर पट्टा जारी कर पालना से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज के पत्र क्रमाकःपसशि/2020/[illegible] दिनांक 18.11.20202 के द्वारा सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पालडी को अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में प्रचलित वाणिज्यिक दर अनुसार उक्त राशि पंचायत कोष में जमा कर पट्टा जारी कर

......पेज आठ पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पालना से अवगत करवाने के निर्देश दिये गये है। ग्राम पंचायत, पालडी एम में अप्रार्थी ठाकरीराम द्वारा प्रचलित वाणिज्यिक दर अनुसार राशि रुपये 243584/– (अक्षरे दो लाख तैयालीस हजार पांच चौरासी रुपये) पंचायत कोष में जमा करवाने के बाद ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत पट्टा संख्या 01 दिनांक 23.12.2020 को जारी किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में वाणिज्यिक दर पर भूमि विक्रय करने व पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही व प्रक्रिया का विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के स्तर पर परीक्षण होने के बाद ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के द्वारा अप्रार्थी ठाकरीराम के पक्ष में प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड के विक्रय का अनुमोदन किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested